



पीएम-विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप (सीबीडीसी वॉलेट)

भारतीय रिजर्व बैंक के
सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
(सीबीडीसी) कार्यक्रम के तहत
पायलट पहल।

छात्रों को
ब्याज अनुदान राशि
सीधे पीएम विद्यालक्ष्मी
डिजिटल रुपी वॉलेट में
प्राप्त होती है।

छात्र को अपने पंजीकृत आधार लिंकड
मोबाइल फोन में पीएम विद्यालक्ष्मी
डिजिटल रुपी ऐप डाउनलोड करना होगा।
ऋण और ब्याज अनुदान की
सुचारु प्रक्रिया के लिए उसी आधार लिंकड
मोबाइल नंबर का उपयोग करें।

प्रत्येक वर्ष,
छात्र को पीएम विद्यालक्ष्मी
डिजिटल रुपी वॉलेट में **e₹**
प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर
अपने शिक्षा ऋण खाते में
e₹ को हस्तांतरण करने की
मंजूरी देनी होगी।

यह एप्लिकेशन
प्रामाणीकरण को सुगम बनाता है,
लेन-देन को पता करना आसान बनाता है।
साथ ही निधि के पारदर्शी उपयोग को
सुनिश्चित करता है।

आवश्यक दस्तावेज

-  आवेदन हेतु आधार कार्ड
ऋण संवितरण पूर्व पैन कार्ड
-  पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ
(छात्र और सह आवेदक, यदि आवश्यक हो)
-  कक्षा 10, 12, स्नातक या अंतिम योग्यता
परीक्षा-सेमेस्टर-वार के लिए
मार्कशीट + प्रमाण पत्र
-  व्यय की सूची के साथ
प्रवेश/प्रस्ताव पत्र
-  ब्याज में अनुदान के लिए
पात्र आवेदकों को सरकारी
सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/
एसडीएम) से निर्गत
आय प्रमाण पत्र।



आवेदन करने के लिए
स्कैन करें



Department of Higher Education
Ministry of Education
Government of India

भारत के युवाओं को समृद्ध बनाना



*नियम व शर्तें लागू



पीएम-विद्या लक्ष्मी योजना

देश के 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचआई) के लिए शिक्षा ऋण योजना

<https://www.education.gov.in/scholarships-education-loan-4>

बिना किसी जमानत व बिना किसी गारंटी के शिक्षा ऋण।

भारत सरकार द्वारा

75% क्रेडिट गारंटी के

साथ ₹7.50 लाख तक के ऋण

प्रदान किए जाएंगे।

सरकार, पारदर्शी, छात्रानुकूल और संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया।

व्यावसायिक / तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ₹4.50 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए पूर्ण ब्याज अनुदान व ₹10 लाख तक के ऋण पर सभी पाठ्यक्रमों के लिए ₹8.00 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान।

ब्याज दर व्यक्तिगत बैंक की बाह्य ऋण दर (ईबीएलआर)

+ 0.5 प्रतिशत पर सीमित हैं।

ऑनलाइन आवेदन करें:
www.pmvidyalaxmi.co.in

पीएम यूएसपी सीएसआईएस
पीएम यूएसपी सीएसआईएस
(केंद्रीय क्षेत्र ब्याज
(केंद्रीय क्षेत्र ब्याज
सब्सिडी योजना)
सब्सिडी योजना)

₹4.50 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए ₹10 लाख तक के ऋण पर पूर्ण ब्याज अनुदान।

यह योजना

उन संस्थानों / विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक / तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए लागू है जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार योग्य हैं।

यह योजना सभी अनुसूचित बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) / सहकारी बैंकों पर लागू है।

अधिक जानकारी के लिए

<https://www.education.gov.in/scholarships-education-loan-4>

अधिक जानकारी के लिए <https://www.education.gov.in/scholarships-education-loan-4> पर देखें

अधिक जानकारी के लिए <https://www.education.gov.in/scholarships-education-loan-4> पर देखें

